आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 का ए-जेड

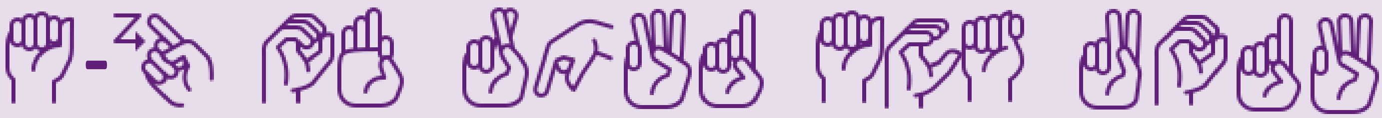

THE
FUTURE
IS
ACCESSIBLE

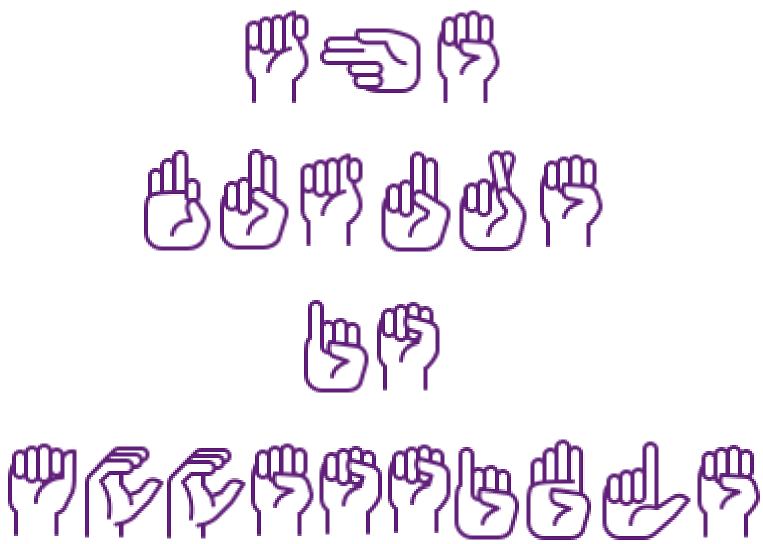

sense
International
INDIA
Working with deafblind people

स्वीकृतियाँ

सेंस इंटरनेशनल इंडिया, जिसे 'सेंस इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है, 1997 में अपनी स्थापना के बाद से नागरिक समाज के साथ कार्य कर रहा है और यह टीम का एडवोकेसी कार्य है, जो वेब-आधारित शोध के माध्यम से विकसित की गयी इस A-Z पुस्तिका का आधार बना है ।

इस पुस्तिका को बधिरान्ध (बधिरान्धता के साथ जी रहे) व्यक्तियों के लिए RPWD अधिनियम के प्रमुख बिंदुओं को आसानी से समझाने के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। A से Z तक का प्रत्येक अक्षर पाठक को एक विचारधारा की तरफ ले जाता है, जिसे बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए इस अधिनियम और इसके प्रमुख प्रावधानों के बारे में समझ विकसित करने के लिए एक अलग फैक्टशीट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ का विकास, प्रकाशन और प्रसार नेलुम्बो फाउंडेशन और सेंस इंटरनेशनल के सहयोग से संभव हुआ है।

हम बधिरान्ध वयस्कों (उड़ान), परिवार के सदस्यों (प्रयास) और शिक्षकों (अभि-प्रेरणा) के राष्ट्रीय नेटवर्क के सहयोग के भी आभारी हैं।

अंततः हम सुश्री वैभवी सोनी के इस पुस्तिका के सामग्री को संकलित करने और इस प्रभावी तथा उपयोगी एडवोकेसी संसाधन को डिजाइन करने में, उनके योगदान के लिए आभारी हैं।

Nelumbo
Foundation

sense
International
INDIA
Working with deafblind people

परिचय

RPWD अधिनियम, 2016 का A-Z, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के लिए एक आसान मार्गदर्शिका है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है।

इस संसाधन का उद्देश्य, भारत में बधिरान्ध अधिकारों के लिए RPWD अधिनियम के प्रावधानों को सरल बनाना है।

यह मार्गदर्शिका बधिरान्धता सम्बंधित, शिक्षा और रोजगार तक पहुंच से लेकर भेदभाव और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा तक आवश्यक अधिनियम के प्रमुख क्षेत्रों को ए से ज़ेड तक सूचीबद्ध करती है।

चाहे आप अपने अधिकारों को समझने की इच्छा रखने वाले बधिरान्ध व्यक्ति हों या इस समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हों, यह पुस्तक आपके लिए एक आवश्यक संसाधन है। इसकी विस्तृत जानकारी सभी A-Z पृष्ठों पर उल्लिखित स्कैनर कोड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

चलिए आगे और जानते हैं !

बधिरान्धता सुनने और देखने वाली दोनों क्षमताओं को प्रभावित करने वाली विशेष प्रकार की परन्तु सामान्यतः एक छुपी हुई दिव्यांगता है।

बधिरान्ध लोगों के लिए सही सूचना और उस तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है।

विभिन्न कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद, बधिरान्ध व्यक्ति सक्षम और कुशल व्यक्ति हैं जो किसी भी अन्य व्यक्ति के समान अधिकारों और अवसरों के पात्र हैं।

शिक्षा और रोजगार से लेकर सामाजिक भागीदारी और स्वतंत्रता तक, जीवन के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ बधिरान्ध व्यक्तियों को समर्थन और सहयोग की आवश्यकता होती है।

एक साथ काम करके और बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन करके, हम सभी व्यक्तियों के लिए एक अधिक समावेशी और सुलभ समाज बना सकते हैं।

बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के ए-जेड पर गौर करने से पहले, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सीआरपीडी के सामान्य सिद्धांत यहां दिए गए हैं:

ए) अंतर्निहित गरिमा के लिए सम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता जिसमें अपनी पसंद चुनने की और अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता शामिल है;

(बी) भेदभाव रहित जीवन;

(सी) समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी तथा समावेश;

(डी) मानव विविधता और मानवता के एक भाग के रूप में दिव्यांग व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति के लिए सम्मान;

(ई) अवसर की समानता;

(एफ) अभिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी);

(जी) पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता;

(एच) दिव्यांग बच्चों की विकसित होती क्षमताओं के लिए सम्मान और दिव्यांग बच्चों के अधिकार के लिए उनकी पहचान को बनाए रखने के लिए सम्मान;

अवेयरनेस (जागरूकता)

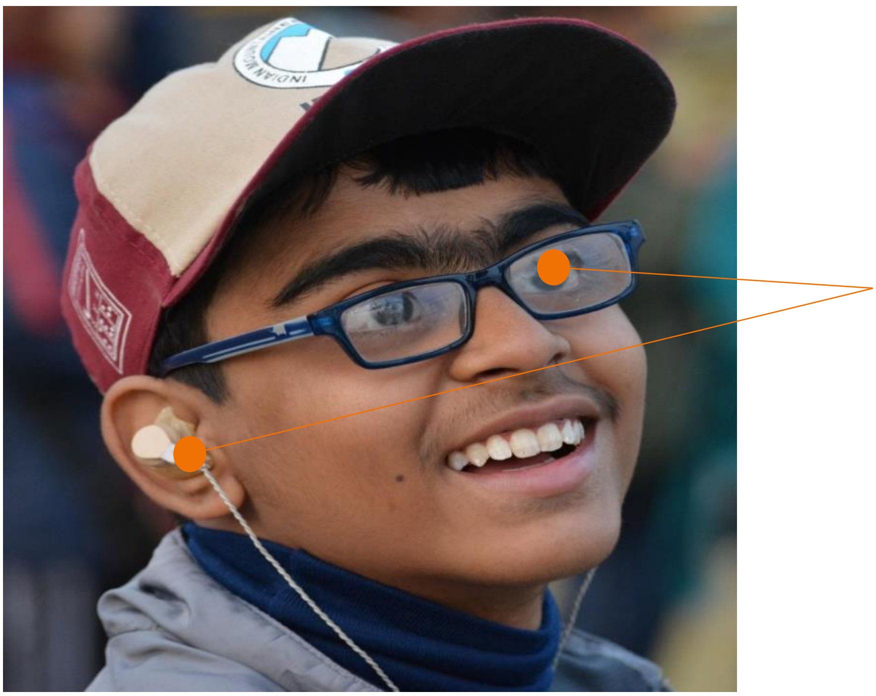

95% of
what we learn
is through
eyes and ears.

बधिरान्ध व्यक्ति दुनिया को समझने के लिए अपनी सुनने और दृष्टि पर भरोसा करने में असमर्थ हैं,और परिणामस्वरूप,उन्हें अपने दैनिक जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

बधिरान्ध समुदाय को समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।

Reference:
Section 39

RPWD Act, 2016

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरअंधता के बारे में जागरूकता की आवश्यकता - आपको क्या पता होना चाहिए?

- बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों द्वारा जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ।
- इन कार्यक्रमों को समावेशीकरण, सहिष्णुता, सहानुभूति और विविधता के प्रति सम्मान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के कौशल, योग्यता और कार्यबल तथा पेशेवर दुनिया में उनके योगदान की स्वीकृति को आगे बढ़ाना चाहिए।
- इन अभियानों को बधिरान्ध व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन, रिश्तों, बच्चों को जन्म देने और पालने से संबंधित सभी मामलों पर उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए।
- स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण स्तर पर बधिरान्धता और बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर उन्मुखीकरण और संवेदीकरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।

बेंचमार्क प्रावधान

निखिल और गोविंदा, गुवाहाटी, असम में बधिरान्ध वयस्क, एक अधिकारी को संवेदनशील बनाते हुए।

बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए बेंचमार्क प्रावधानों पर हम सभी को संवेदनशील होने की आवश्यकता है।

Reference:
Section 2, 31, 33, 34, 36 & 38

RPWD Act, 2016

sense International INDIA
Working with deafblind people

RPWD अधिनियम 2016 एक "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" को किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता के कम से

कम 40% के रूप में परिभाषित करता है।

बहु-दिव्यांगता के कुल प्रतिशत की गणना कैसे करें?

$a + \frac{b(90-a)}{90}$,

जहां

“a” उच्च स्कोर होगा , “b” निचला स्कोर होगा.

बहु-दिव्यांगता का कुल अधिकतम प्रतिशत 100% से अधिक नहीं होगा। यहाँ बधिरान्ध व्यक्ति का एक उदाहरण दिया गया है:

यदि श्रवण निःशक्तता का प्रतिशत 30% और दृष्टि निःशक्तता का प्रतिशत 20% है, तो आवेदन करके

ऊपर दिए गए संयोजन सूत्र के अनुसार, बहु-दिव्यांगता के कुल प्रतिशत की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$30 + \frac{20(90-30)}{90} = 43\%$

Assessment Guidelines notified by the Government of India

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए प्रावधान जिन्हें उच्च समर्थन की आवश्यकता है:

• बेंचमार्क दिव्यांगता वाला कोई भी व्यक्ति जिसे उच्च समर्थन की आवश्यकता है, या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति या संगठन, उचित सरकारी प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है।

• प्राधिकरण ऐसे मामले को एक मूल्यांकन बोर्ड को भेजेगा, जो उच्च समर्थन और इसकी प्रकृति की आवश्यकता का आकलन करेगा।

• मूल्यांकन पूरा होने के बाद, प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा।

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

• छह से अठारह वर्ष की आयु के बीच की बेंचमार्क विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद के पड़ोस के स्कूल या विशेष स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार होगा।

• सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए:

  o उनके आरक्षण के लिए पदों की पहचान होनी चाहिए।

  o प्रत्येक कार्य समूह में कुल रिक्तियों का 4% बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित होना चाहिए, प्रत्येक खंड a, b और c के लिए 1%

    a) अंधापन / कम दृष्टि

    b) बहरापन/सुनने में कठिनाई

    c) लोकोमोटर डिसेबिलिटी और क्लॉज d और e के लिए 1%

    d) आत्मकेंद्रित/बौद्धिक दिव्यांगता/विशिष्ट सीखने की अक्षमता/मानसिक बीमारी

    e) बधिरान्धता सहित बहु-दिव्यांगता

• नियोक्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे अपने प्रतिष्ठान में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्तियों के बारे में एक विशेष रोजगार कार्यालय को सूचित करें, ताकि उन्हें बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके।

• इच्छुक नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वाले बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की जानकारी रखने के लिए विशेष रोजगार कार्यालय।

कम्युनिटी लाइफ (सामुदायिक जीवन)

इब्राहिम,एक बधिरान्ध बच्चा,अपने पिता के साथ खुशी से चिड़ियाघर की खोज कर रहा है

Reference:
Section 5

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 19

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के समुदाय के साथ रहने के लिए अधिकार:

- बधिरान्धता या बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को समुदाय में रहने का समान अधिकार है।
- • उन्हें दूसरों के साथ समान आधार पर अपना निवास स्थान और वे किसके साथ रहते हैं, ये चुनने का अधिकार है।
- • समुदाय में रहने और समुदाय के साथ उनके समावेशन के लिए उनके पास घर के भीतर, आवासीय और अन्य सामुदायिक सहायता सेवाओं तक पहुंच है।
- • सामान्य आबादी के लिए उपलब्ध सामुदायिक सेवाएं और सुविधाएं बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए भी समान आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए, और उनकी आवश्यकताओं के प्रति समुदाय को उत्तरदायी होनी चाहिए।
- • उनके जीवन में सहायता के लिए उनके उम्र और लिंग के आधार पर उन्हें व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
- • सरकारों को बधिरान्ध व्यक्तियों को किसी विशेष व्यवस्था में रखने की आवश्यकता तब तक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि यह उनकी बेहतरी के लिए न हो।

डिज़ास्टर मैनेजमेंट (आपदा प्रबंधन)

लकड़ी के डोमिनोइज प्रभाव को हाथ से रोकना, आपदा प्रबंधन को दर्शा रहा है

Reference:
Section 8 & 24

RPWD Act, 2016

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- बधिरान्ध व्यक्तियों को सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं में समान सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त होगी।
- राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को बधिरान्ध व्यक्तियों के सुरक्षा और संरक्षा के लिए उन्हें अपनी गतिविधियों में शामिल करने के उपाय करने चाहिए।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को जिले में निवास करने वाली बधिरान्ध व्यक्तियों के रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और जोखिम की किसी भी स्थिति के बारे में उन्हें सूचित करना चाहिए।
- पुनर्निर्माण गतिविधियों के प्रभारी अधिकारियों को राज्य आयुक्तों से परामर्श करना चाहिए और बधिरान्ध व्यक्तियों के पहुंच के लिए जरुरी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।
- प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में सरकार बधिरान्ध व्यक्तियों की सहायता करेगी।

एजुकेशन (शिक्षा)

बधिरान्धता से प्रभावित छोटा बच्चा टेलर के गणितीय ढांचे का उपयोग करके गणित सीख रहा है

Reference:
Section 16-18, 31, 32 & 47

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 24

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- यह अधिनियम समान अवसर के आधार पर बधिरान्ध व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है।
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शिक्षा संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सभी बधिरान्ध छात्रों को प्रवेश देना चाहिए।
- बधिरान्ध छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक विकास को अधिकतम करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकता आधारित समर्थन प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें उपयुक्त भाषाओं और संचार साधनों में शिक्षा प्रदान करना शामिल है।
- भवनों, परिसरों और अन्य सुविधाओं को बधिरान्ध व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुलभ बनाना और उन्हें उचित आवास प्रदान करना।
- संस्थानों को उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले बधिरान्ध लोगों को परिचारक सहित परिवहन और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- शिक्षकों को बधिरान्धता वाले छात्रों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए स्पर्श मोड सहित ब्रेल और सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- सभी शिक्षण सामग्री बधिरान्ध व्यक्तियों को सुलभ रूप में प्रदान की जानी चाहिए, जैसे कि - ब्रेल, बड़े अक्षर (फ़ॉन्ट), सुलभ डिजिटल पुस्तकें, सांकेतिक भाषा आदि।
- 6-18 आयु वर्ग के बधिरान्ध बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अपनी 5% सीटें आरक्षित करनी चाहिए। वे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच वर्ष की छूट के भी पात्र हैं।
- यह अधिनियम सरकार को सभी बधिरान्ध छात्रों को समावेशी और सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है।

फाइनेंशियल इंडिपेंडेन्स (वित्तीय स्वतंत्रता)

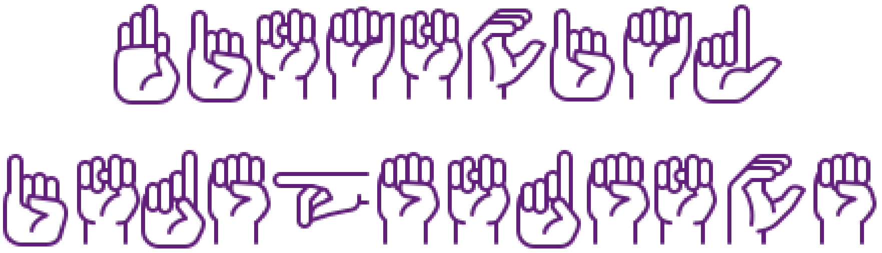

जन्म से बधिरान्धता से प्रभावित रजनीश को अपने हाथ में नोट पकड़े खुशी से देखा जा सकता है।

बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए पैसा कमाना समान रूप से महत्वपूर्ण है।

Reference:
Section 24, 37, 84 & 88

RPWD Act, 2016

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- प्रत्येक बधिरान्ध व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कौशल को सीखने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अधिकार है।
- सरकार बधिरान्ध लोगों के लिए पर्याप्त जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कार्यक्रम प्रदान करेगी।
- इन योजनाओं को तैयार करते समय शारीरिक अक्षमता, लिंग, आयु और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में उचित विचार किया जाना चाहिए।
- इन योजनाओं में शामिल होना चाहिए: बधिरान्ध महिलाओं को आजीविका प्राप्त करने और अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिए सहायता देना; सहायता और उपकरण, दवा, सुधारात्मक सर्जरी, नैदानिक सेवाओं और दिव्यांगता पेंशन तक उनकी पहुंच जो कि एक निश्चित आय सीमा के साथ मुफ्त प्रदान की जाती हो; विशेष रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष से अधिक पंजीकृत लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ता; उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लिए देखभालकर्ता भत्ता इत्यादि।
- यह अधिनियम बेंचमार्क दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता के साथ कृषि भूमि, आवास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के आवंटन में 5% आरक्षण प्रदान करता है।
- यह आवास, व्यवसाय और उत्पादन केंद्रों जैसी गतिविधियों के लिए बधिरान्ध व्यक्तियों हेतु रियायती दर पर भूमि के आवंटन में 5% आरक्षण भी प्रदान करता है।

गार्डियनशिप (संरक्षण)

रोहन, एक बधिरान्ध लड़का अपनी केयर-टेकर के साथ

संरक्षक भी एक केयर-टेकर या ध्यान रखने वाला ही है।

Reference:
Section 14 & 15

RPWD Act, 2016

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- एक अभिभावक वह होता है जो बधिरान्ध व्यक्ति की ओर से तथा उनके परामर्श से, कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगा।
- कानूनन अभिभावक की नियुक्ति से असहमत बधिरान्ध व्यक्ति इस निर्णय के खिलाफ नामित अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील कर सकते हैं।
- कोई भी अभिभावक बधिरान्ध व्यक्ति को संरक्षण करने के नाम पर उन्हें उनकी पसंद का काम करने से मना नहीं कर सकता है।
- यदि बधिरान्ध व्यक्ति जीवन के नए अनुभव लेना चाहता है तब ऐसी स्थिति में कोई भी अभिभावक 18 वर्ष से अधिक आयु के बधिरान्ध व्यक्तियों की ओर से उनकी सहमति के विरुद्ध निर्णय नहीं ले सकता है!
- RPWD अधिनियम सरकार को बधिरान्ध लोगों को निर्णय लेने और उनकी जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए बाध्य करता है।
- यदि बधिरान्धता से प्रभावित व्यक्ति को पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान की गयी है, फिर भी वह निर्णय लेने में असमर्थ है, तो उसे एक सीमित अभिभावक का समर्थन प्रदान किया जा सकता है। सीमित संरक्षकता संयुक्त निर्णय लेने की एक प्रणाली है जो अभिभावक और बधिरान्ध व्यक्ति के बीच आपसी समझ और विश्वास पर संचालित होती है। यह एक विशिष्ट अवधि और विशिष्ट निर्णयों और स्थितियों तक सीमित है और सीमित संरक्षक को बधिरान्ध व्यक्ति की इच्छा के अनुसार काम करना चाहिए।
- सम्बंधित अधिकारियों को संस्थानों में रहने या उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले बधिरान्ध लोगों के लिए भी सहायता प्रदान करनी चाहिए, और अन्य आवश्यक उपायों को लागू करना चाहिए।

ह्यूमन रिसोर्स डेवलॅपमेंट (मानव संसाधन विकास)

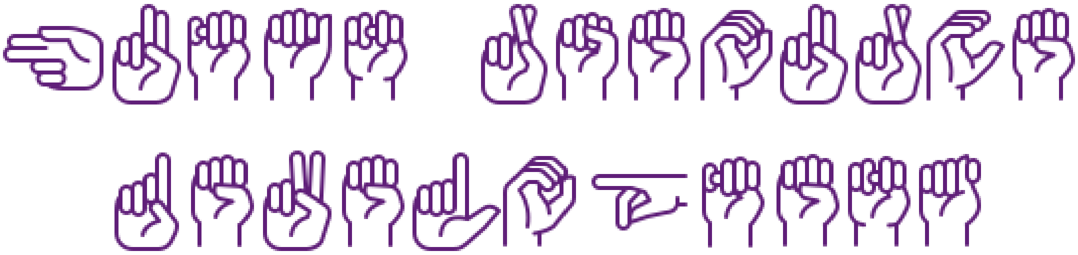

बधिरान्ध व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण लेते शिक्षक।

Reference:
Section 47

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 24

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- भारतीय पुनर्वास परिषद बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रशिक्षण अनिवार्य करेगी: इस प्रशिक्षण में पंचायती राज सदस्य, विधायक, प्रशासक, पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश और वकील इत्यादि सम्मिलित होंगे
- वे स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के सभी शिक्षा पाठ्यक्रमों में एक घटक के रूप में बधिरान्धता सहित दिव्यांगता को शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरा-मेडिकल कर्मियों, समाज कल्याण अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों आदि के प्रशिक्षण के लिए शामिल करेंगे।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के परिवारों, समुदाय के सदस्यों, अन्य हितधारकों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए स्वतंत्र जीवन और सामुदायिक संबंधों के प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
- खेल प्रशिक्षकों को बधिरान्धता सहित दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- हर पांच वर्ष में बधिरान्ध कर्मियों की भर्ती, प्रवेश और प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता-आधारित विश्लेषण और योजना प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।
- सरकार अध्ययन केंद्रों की स्थापना सहित बधिरान्धता से सम्बंधित शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना बनाएगी।

इंडिपेंडेंट लिविंग
(स्वतंत्र जीवन)

सेंथिल, एक बधिरान्ध व्यक्ति, अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सफलतापूर्वक अपनी दुकान का संचालन करता है

Reference:
Section 9

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 23

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- बधिरान्ध व्यक्तियों के विवाह, माता-पिता बनने और व्यक्तिगत सम्बन्धों से जुड़े भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार प्रभावी और उचित उपाय करेगी।
- जब संरक्षकता, वॉर्डशिप, ट्रस्टीशिप, और बच्चों को गोद लेने से संबंधित निर्णयों की बात आती है तो उन्हें अन्य सभी के समान अधिकार दिए जाने चाहिए। उन्हें इन निर्णयों से बाहर या बहिष्कृत नहीं किया जाना चाहिए।
- उन्हें यह चुनने का अधिकार है कि वे कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं और उन्हें कितनी दूर रखना चाहते हैं। उन्हें अपनी उम्र के अनुसार जानकारी लेने का तथा परिवार नियोजन और प्रजनन संबंधित शिक्षा लेने का अधिकार है।
- बधिरान्ध बच्चों को पारिवारिक जीवन के संबंध में समान अधिकार होने चाहिए, और उन्हें और उनके परिवारों को प्रारंभिक और व्यापक जानकारी, सेवाएं और सहायता प्राप्त होनी चाहिए।
- बधिरान्ध बच्चों को उनके माता-पिता से उनकी इच्छा के विरुद्ध अलग नहीं किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जब बच्चे के सर्वोत्तम हितों के लिए ऐसा अलगाव आवश्यक हो, और किसी भी स्थिति में बच्चे या माता-पिता में से एक या दोनों की अक्षमता के आधार पर अलगाव नहीं होना चाहिए।
- बधिरान्ध बच्चे के लिए वैकल्पिक देखभाल पहले उसके निकट परिवार में मांगी जानी चाहिए, और ऐसा न होने पर पारिवारिक माहौल में समुदाय के भीतर उनकी देखभाल होनी चाहिए ।
- असाधारण मामलों में, उन्हें सरकारी या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित आश्रय गृह में रखा जा सकता है।

जस्टिस
(न्याय)

एक महिला एक हाथ में मेगाफोन लिए और दूसरे हाथ से भेदभाव के खिलाफ न्याय मांगती हुई

Reference:
Section 12

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 13 & 29

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- यह अधिनियम सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए बिना किसी भेदभाव के न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है।
- उनके पास कानूनी कार्यवाही में गवाह के रूप में उपस्थित होने या अन्यथा भाग लेने का अवसर होना चाहिए।
- ऐसे बधिरान्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो परिवार के साथ नहीं रहते हैं और जिन्हें कानूनी निर्णय की आवश्यकता है।
- पुलिस और जेल कर्मचारियों सहित न्याय प्रशासन में काम करने वाले लोगों के द्वारा कार्य प्रणाली में बधिरान्धता को शामिल करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
- अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए अकेले रहने वाले या उच्च समर्थन की आवश्यकता वाले बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए उचित उपायों को लागू करना अनिवार्य है।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी सार्वजनिक दस्तावेजों तक बधिरान्ध व्यक्तियों कि पहुंच हो और इन दस्तावेजों को फाइल, स्टोर और रैफर करने के लिए उन्हें आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
- बधिरान्ध लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा और संचार के तरीके में अपनी गवाही, राय और तर्क रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- यह अधिनियम सरकार को न्याय प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले वकीलों, पुलिस, अदालत के कर्मचारियों और जेल कर्मचारियों का इस सन्दर्भ में उचित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने का भी आदेश देता है।
- अदालत परिसर सहित सभी बुनियादी ढांचे को बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

नॉलेज एंड एक्सेसिबिलिटी (ज्ञान और उस तक पहुंच)

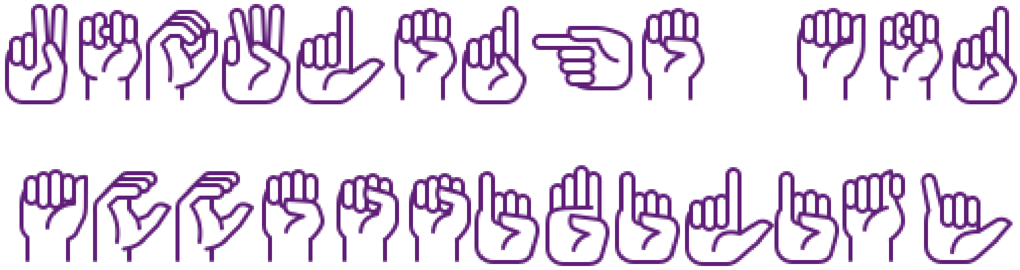

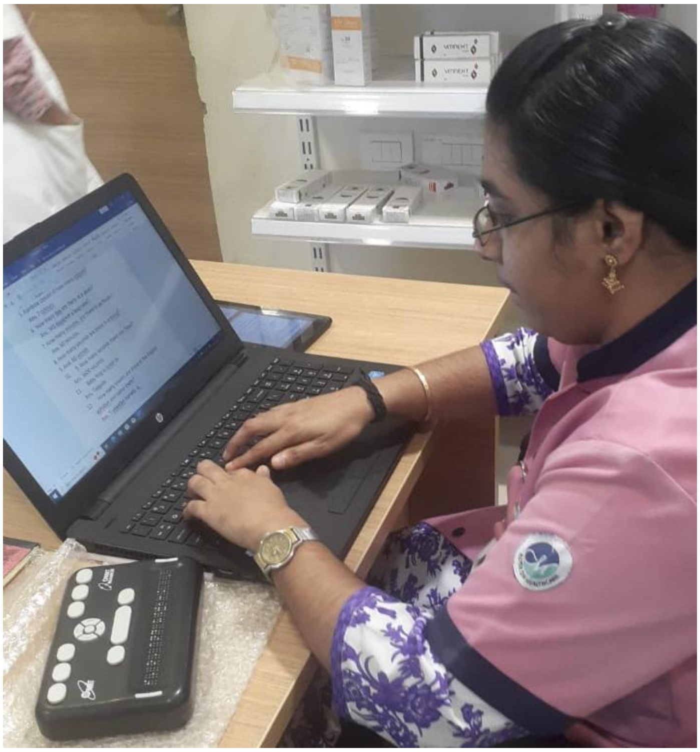

बधिरान्धता प्रभावित युवा महिला शिशना, पुनरुपयोगी ब्रेल डिवाइस के उपयोग से लैपटॉप चला रही है।

Reference:
Section 40-46

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 9

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- सरकार बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, प्रौद्योगिकी एवं संचार सेवाओं और अन्य सार्वजनिक सेवाओं तक उनकी समान पहुंच प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
- ये उपाय भवनों, सड़कों, भीतरी और बाहरी स्थानों, सार्वजनिक सेवाओं एवं सूचना, संचार प्रौद्योगिकी और आपातकालीन सेवाओं पर लागू होने चाहिए।
- निजी क्षेत्रों को बधिरान्ध व्यक्तियों की पहुंच हेतु सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए।
- प्रिंट, ब्रेल, बड़े फॉन्ट में बधिरान्ध लोगों के लिए सूचना और संचार पूरी तरह से सुलभ होना। बधिरान्ध व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार क्लोज कैप्शन, ऑडियो डिस्क्रिप्शन, साइन लैंग्वेज, कलर कंट्रास्ट आदि उपलब्ध करवा कर उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- सरकार बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए यूनिवर्सल डिजाइनिंग से की गयी गई सुलभ तकनीक का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करेगी – उदाहरण: रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले, स्मार्ट फोन, श्रवण यंत्र आदि।
- व्यक्तिगत गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए सुलभ सड़कें प्रदान की जाएंगी।
- बधिरान्ध व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुलभ पार्किंग स्थान, शौचालय, टिकट काउंटर, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- परिवहन को सुगम्यता मानकों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा और पहुंच के लिए परिवहन के पुराने तरीकों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों के बिना जब भी संभव हो संशोधन किए जाने चाहिए।
- सभी निर्माण परियोजनाओं को भवन अनुमोदन और अधिभोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पहुंच मानकों का पालन करना चाहिए। अधिनियम लागू होने की तिथि से 5 वर्षों के भीतर वर्तमान भवनों को बधिरान्ध व्यक्तियों हेतु सुलभ बनाया जाना है।
- सरकार और स्थानीय प्राधिकरण स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टॉप जैसी आवश्यक सेवाओं को बधिरान्ध व्यक्तियों हेतु सुलभ बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करेंगे।

लीगल कैपेसिटी (कानूनी क्षमता)

बहुरंगी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ घर बनाते हुए एक लड़की के हाथ क्षमता दर्शा रहे हैं

बधिरान्ध व्यक्तियों के पास घर के मालिक होने और संपत्ति का उत्तराधिकारी होने का समान अधिकार है

Reference:
Section 13

RPWD Act, 2016

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- सभी बधिरान्ध व्यक्तियों के पास अन्य व्यक्तियों के समान ही संपत्ति का स्वामित्व और उत्तराधिकार प्राप्त करने, अपने वित्त को नियंत्रित करने, ऋण और अन्य क्रेडिट तक पहुंचने का अधिकार है।
- उनके पास कानून के समक्ष किसी अन्य व्यक्ति के समान ही कानूनी क्षमता है।
- यदि वित्तीय, संपत्ति सम्बंधित या आर्थिक मामलों में, केयर टेकर और बधिरांध व्यक्ति के बीच हितों का टकराव होता है, तो सहायक व्यक्ति द्वारा सहायता मान्य नहीं होनी चाहिए।
- एक बधिरान्ध व्यक्ति को अपने वर्तमान केयर टेकर को बदलने, संशोधित करने या वैकल्पिक केयर टेकर लाने का अधिकार है।
- परिवार के सदस्य/देखभाल करने वाले/कानूनी अभिभावक जो बधिरान्ध व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, उनका बधिरान्ध व्यक्तियों पर अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए। बधिरान्ध लोगों की निजता और गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों का भी सपना होता है कि उनका अपना घर हो, कार हो या शादी हो; यदि आवश्यक हो, तो उन्हें समर्थित निर्णय लेने के साथ कानूनी रूप से अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है।

मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन (निगरानी और कार्यान्वयन)

लिखित RPWD 2016 के पास रखा हुआ मैग्नीफाइंग ग्लास की निगरानी को दर्शा रहा है

हमें यह जांचते रहना होगा कि RPWD अधिनियम ठीक से लागू हो।

Reference:
Section 48, 60 - 88

RPWD Act, 2016

उपयुक्त योजनाओं का अधिकार:

- सरकार उन सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सोशल ऑडिट (उचित कार्यान्वयन की जांच) करेगी, जिनमें बधिरान्ध व्यक्ति शामिल हैं।
- सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों पर उन योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए।
- सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों की आवश्यकताओं और चिंताओं के अनुपालन का भी आकलन करना चाहिए।
- अधिनियम की बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के लिए सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों सम्बंधित नीति, कानून और कार्यक्रम की समीक्षा करने और दिव्यांगता से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए नीचे लिखित सरकारी निकायों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड
    - केंद्रीय सलाहकार बोर्ड
    - राज्य सलाहकार बोर्ड
    - दिव्यांगता के लिए मुख्य आयुक्त
    - दिव्यांगता के लिए राज्य आयुक्त
    - जिला स्तरीय समिति
- बधिरान्धता के संबंध में नीतियों, कानून और कार्यक्रम पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकार बोर्ड हर 6 महीने में एक बार मिलें।
- राज्य सरकार बधिरान्धता सहित दिव्यांग व्यक्तियों के तुरंत ट्रायल के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करेगी। ये अदालतें राज्य के हर जिले में स्थापित की जानी चाहिए।
- मुख्य आयुक्त को बधिरान्ध व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तों के काम का समन्वय करना, केंद्र सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना और बधिरान्ध व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना अनिवार्य है।

नॉन डिस्क्रिमिनेशन
(भेदभाव ना होना)

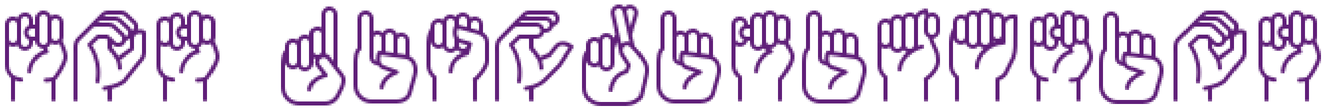

श्रुति एक टीम मीटिंग में अपने सहयोगियों के साथ मनोरंजक गतिविधियों में समान रूप से संलग्न हैं (नीले रंग की पोशाक में)

Reference:
Section 3

RPWD Act, 2016

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बधिरान्ध व्यक्तियों को समानता का अधिकार, सम्मान के साथ जीवन जीने तथा अपनी अखंडता बनाये रखने के लिए बराबरी का मौका मिले।
- किसी भी बधिरान्ध व्यक्ति के साथ दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह नहीं पाया जाता है कि ऐसा आपत्तिजनक कार्य, वैध उद्देश्य प्राप्त करने के लिए किया गया है।
- किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बधिरान्धता सहित उसकी दिव्यांगता के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।
- अधिनियम सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए उचित सहायता प्रदान करने कि कार्रवाई करने के लिए बाध्य करता है।
- इसके लिए सरकार को एक सहायक वातावरण बनाने की भी आवश्यकता है जो बधिरान्ध व्यक्तियों को अपनी पूरी क्षमता पाने की अनुमति देता है।

ओफ्फेंसिस एंड पेनल्टीज़ (अपराध और दंड)

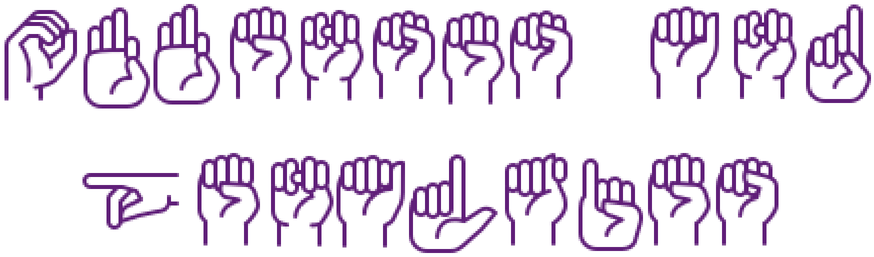

कानून का उल्लंघन करने के लिए अपराधी को दंडित किए जाने का संकेत देने के लिए एक आदमी को हथकड़ी लगाई गई है

Reference:
Section 6, 7 & 92

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 17

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के अपराधों के लिए सजा के प्रावधान:

- दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के प्रति दुर्व्यवहार, अपमान, भेदभाव या शोषण का कोई भी जानबूझकर किया गया कार्य कानून द्वारा दंडनीय है और इसमें छह महीने से लेकर पांच साल तक का कारावास भी हो सकता है।
- बधिरान्ध व्यक्तियों का सार्वजनिक रूप से जानबूझकर अपमान करना या डराना - कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- बधिरान्ध व्यक्ति पर हमला करना/बल का प्रयोग करना -कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- आरोप या नियंत्रण के तहत बधिरान्ध व्यक्तियों को भोजन/तरल पदार्थ से इनकार करना - कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- पद पर आधिपत्य जमाने के इरादे से बधिरान्ध महिला का शोषण - कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- बधिरान्ध व्यक्ति को चोट पहुँचाना / उनका नुक्सान करना / उनके किसी अंग या इंद्रिय के उपयोग में बाधा डालना - कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- बधिरान्ध महिला की सहमति के बिना उसकी गर्भावस्था को समाप्त करना - कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल तक का कारावास तथा जुर्माना
- अगर कोई कंपनी इस कानून के तहत उल्लंघन करती है, तो कंपनी के प्रभारी सभी लोग उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होंगे और तदनुसार दंडित होंगे, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उन्हें उल्लंघन के बारे में पता नहीं था या उन्होंने इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाए थे।

अधिनियम, नियम या विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सजा:

- पहला उल्लंघन: रुपये 10,000 तक का जुर्माना।
- बाद में उल्लंघन: 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों हेतु दिए गए प्रावधानों का धोखे से लाभ उठाने के लिए सजा:

- एक निश्चित अवधि के लिए कारावास जो दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है
- अधिकतम 1 लाख रुपये तक का कारावास और जुर्माना दोनों लागू हो सकते हैं

जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता के लिए सजा:

- कानून द्वारा अपेक्षित विवरण, जानकारी या विवरण प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने में विफल रहने पर 25,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
- निरंतर विफलता या कानून का पालन करने से इनकार करने पर प्रत्येक दिन के लिए 1,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है।
- यह दंड उन पुस्तकों, खातों, विवरणों, सूचनाओं और प्रश्नों पर लागू होता है जिनका उत्तर कानून के प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

प्रोटेक्शन (सुरक्षा)

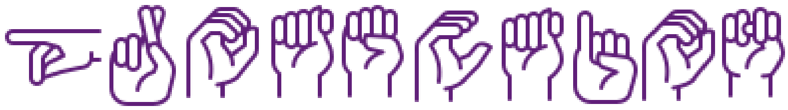

ऐलिस, बधिरान्धता से प्रभावित एक युवा लड़की अपनी माँ के साथ
अपनी रक्षा के लिए आत्मरक्षा सीख रही है

Reference:
Section 6, 7 & 92

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 17

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

प्रत्येक बधिरान्ध व्यक्ति को अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता की सुरक्षा का अधिकार है।

- उनके साथ सम्मान और प्रतिष्ठाजनक समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
- किसी भी बधिरान्ध व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण या अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक सत्यनिष्ठा का सम्मान किया जाना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों को भेदभाव, उपेक्षा और दुर्व्यवहार के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों को यातना, क्रूर, हिंसक, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से बचाने के उपाय किए जाएंगे।
- बधिरान्धता सहित किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को उनकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना किसी भी प्रकार के अनुसंधान में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनकी सहमति को सुलभ तरीकों, साधनों और संचार के प्रारूपों का उपयोग करके प्राप्त किया जाना चाहिए ।
- अगर किसी को लगता है कि बधिरान्ध व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया गया है, किया जा रहा है, या किया जा सकता है, तो वे स्थानीय कार्यकारी मजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
- कार्यपालक मजिस्ट्रेट इस स्थिति को रोकने के लिए तत्परता से कार्य करेंगे और पीड़ित को बचाने की व्यवस्था करेंगे । कार्यपालक मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़ित को एक सुरक्षित वातावरण में रखा जाए और उनके ठीक होने के लिए उन्हें आवश्यक सहायता प्राप्त की जाए।
- पुलिस अधिकारी के द्वारा बधिरान्ध व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन करने के उनके अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता के उनके अधिकार, अधिनियम या ऐसे अपराध से निपटने वाले किसी अन्य कानून के माध्यम से शिकायत दर्ज करने के उनके अधिकार के बारे में उन्हें निरंतर सूचित करना चाहिए।
- इस अधिनियम के तहत अच्छी भावना से किए गए किसी काम के लिए किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या कानूनी कार्यवाही का प्रयोग नहीं किया सकता है।

क्वॉलीफिकेशन (योग्यता)

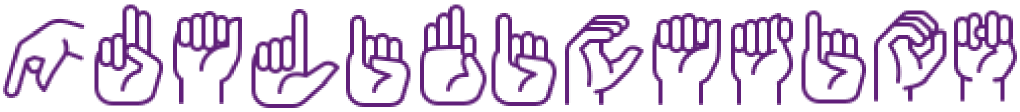

राज द्वारा स्क्रीन आवर्धक के सहयोग से कंप्यूटर का संचालन किया जा रहा है ।

यदि उचित अवसर प्रदान किया जाता है तो बधिरान्ध व्यक्ति नौकरी के लिए समान रूप से योगदान कर सकते हैं।

Reference:
Section 20-23 & 33 -36

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 27

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- कोई भी नियोक्ता बधिरान्ध व्यक्ति के साथ रोजगार के लिए भेदभाव नहीं कर सकता है या उनकी अक्षमता के आधार पर उनकी पदोन्नति से इनकार नहीं कर सकता है।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के विकास के लिए बाधा मुक्त सुलभ वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति अपनी सेवा के दौरान बधिरान्धता से प्रभावित हो जाता है, तो उसे नीचे का पद नहीं दिया जा सकता है। यदि वह किसी विशेष कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उन्हें उसी वेतनक्रम के साथ उपयुक्त विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
- सरकार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए पदों की पहचान करेगी। ऐसे पहचाने गए पद प्रत्येक श्रेणी के बधिरान्ध व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से होने चाहिए। चिन्हित किये गए ऐसे पदों की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जानी चाहिए।
- चूँकि बधिरान्धता को बहु-दिव्यांगता के तहत गिना जाता है, अतः बहु-दिव्यांगता, आत्मकेंद्रित और बौद्धिक अक्षमता के लिए एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान बधिरान्ध व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होगा ।
- निजी क्षेत्र के नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कम से कम 5% पद बधिरान्ध व्यक्तियों सहित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भरे गए हैं।
- दिव्यांग व्यक्तियों को गुलामी, अनैच्छिक दासता, या जबरन श्रम का अनुभव करने से रोका जाएगा।

रिक्रिएशन एंड रिहैबिलिटेशन (मनोरंजन और पुनर्वास)

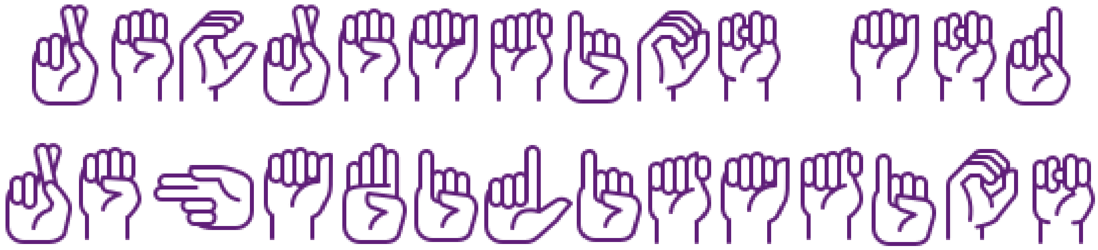

पिंकी, बधिरान्धता से प्रभावित एक महिला (दाईं ओर से पहली) उत्साह से खाना बनाना सीख रही है

Reference:
Section 27, 29 & 30

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 26

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार - सरकार को चाहिए:

बधिरान्ध कलाकारों और लेखकों को सुविधाएं, समर्थन और प्रायोजन प्रदान करें।

- कला को उनके लिए सुलभ बनाएं।
- मनोरंजन केंद्रों और अन्य सहयोगी गतिविधियों में बधिरान्ध व्यक्तियों को बढ़ावा देना।
- स्काउटिंग, नृत्य, कला कक्षाओं, बाहरी शिविरों और साहसिक गतिविधियों में बधिरान्ध व्यक्तियों को भागीदारी की सुविधा प्रदान करना।
- बधिरान्ध व्यक्तियों की भागीदारी और पहुंच को सक्षम करने के लिए सांस्कृतिक और कला विषयों में पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप प्रदान करना।
- मनोरंजक गतिविधियों में बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए पहुंच और समावेशन की सुविधा के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी और उपकरणों का विकास करना।
- यह सुनिश्चित करना कि बधिरान्ध व्यक्ति सांकेतिक भाषा व्याख्या या उपशीर्षक के साथ टेलीविजन कार्यक्रमों का उपयोग कर सकते हैं।
- सरकार को खेल गतिविधियों में बधिरान्ध व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के उपायों को लागू करना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए खेल गतिविधियों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और वृद्धि के प्रयास किए जाएंगे।
- यह महत्वपूर्ण है कि बधिरान्ध व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी को समायोजित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सभी खेल गतिविधियां आवश्यक बहु-संवेदी विशेषताएं प्रदान करती हैं।
- यह महत्वपूर्ण है कि बधिरान्ध व्यक्तियों की आवास और पुनर्वास सेवाओं और कार्यक्रमों तक पहुंच हो ताकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जा सके, उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षमता को अधिकतम बढ़ाया जा सके और समाज के सभी क्षेत्रों में उनके द्वारा पूरी तरह से भाग लिया जा सके।
- बधिरान्ध व्यक्तियों को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों सहित पुनर्वास सेवाएं और कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। इन्हें बधिरान्ध व्यक्तियों की आर्थिक क्षमता और समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया जाना चाहिए।

सोशल सिक्योरिटी (सामाजिक सुरक्षा) और हेल्थ केयर (स्वास्थ्य सेवा)

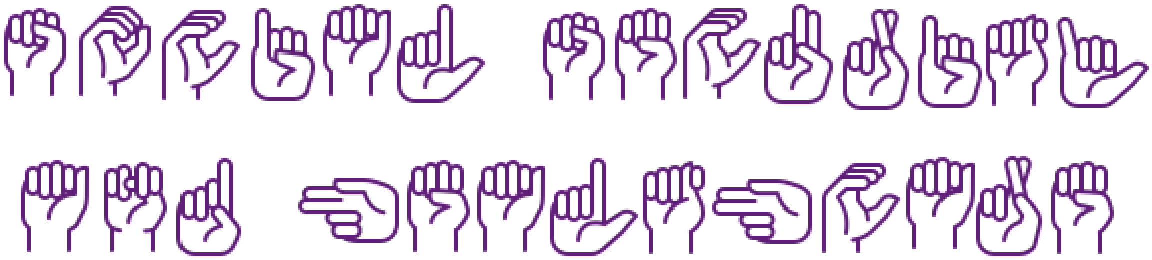

रोगी से परामर्श करने वाला पेशेवर चिकित्सक बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ होने का चित्रण करता है

Reference:
Section 24-26 & 37

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 25

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- जीवन के पर्याप्त मानक के लिए बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सहायता की मात्रा दूसरों के लिए लागू समान योजनाओं की तुलना में कम से कम 25% अधिक होनी चाहिए।
- ऐसे कार्यक्रमों को बधिरान्ध व्यक्तियों को सामुदायिक केंद्र, आपदा और संघर्ष की स्थिति में समर्थन, स्वच्छ पानी तक उनकी पहुंच, सहायक उपकरण और सुधारात्मक सर्जरी, दिव्यांगता पेंशन, बेरोजगारी लाभ, देखभाल करने और व्यापक बीमा कवरेज जैसे संसाधनों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए।
- सरकार निजी या सार्वजनिक अस्पतालों में बधिरान्ध व्यक्ति के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुफ्त या सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच बनाएगी। सरकार को बधिरान्धता की स्थिति को रोकने के विभिन्न तरीकों को भी बढ़ावा देना चाहिए।
- प्राकृतिक आपदाओं और जोखिम की अन्य स्थितियों के दौरान बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
- जीवन रक्षक आपातकालीन उपचार और यौन तथा स्वास्थ्य प्रजनन की देखभाल के लिए विशेष रूप से बधिरान्ध महिलाओं के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ।
- स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा प्रदान करने में बधिरान्ध व्यक्ति के लिए किसी तरह के भेदभाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- दिव्यांगता के आधार पर बधिरान्ध व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य देखभाल, सेवाओं और भोजन से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।
- सरकार दिव्यांग कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए बीमा कार्यक्रम लागू करेगी। बीमा योजना के विवरण के साथ एक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें कर्मचारी की दिव्यांगता से संबंधित खर्च शामिल होंगे।

टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) और एड्स एंड एप्लायंस (सहायक उपकरण)

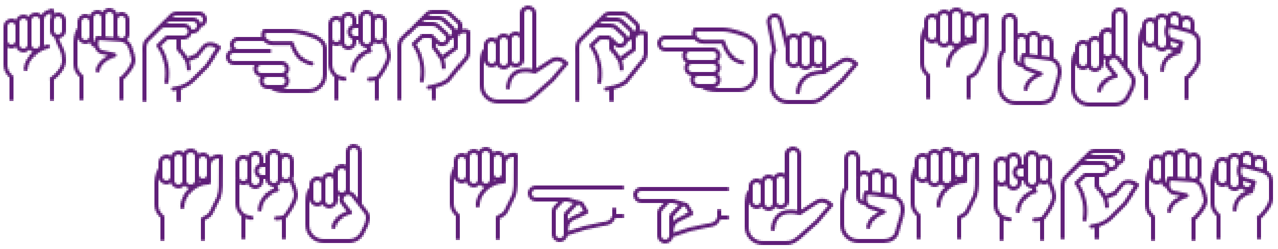

रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले – बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहायता है

Reference:
Section 42-46

RPWD Act, 2016

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सूचना को संसाधित करने, संग्रहीत करने, संचारित करने और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल तकनीकों की एक श्रृंखला शामिल है।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए आईसीटी को सुलभ बनाने का अर्थ उन तकनीकों को डिजाइन करना, विकसित करना और नियुक्त करना है जो उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने और उपयोग करने की अनुमति देती हैं।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए सामान्य पहुंच सुविधाओं में वैकल्पिक इनपुट और आउटपुट विधियां, कैप्शनिंग और ऑडियो विवरण, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, टैक्टाइल ग्राफिक्स और हैप्टिक फीडबैक, अन्य सहायक तकनीक और सॉफ्टवेयर शामिल हैं।
- मीडिया के सभी रूपों (ऑडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक) में सामग्री सुलभ रूप में उपलब्ध होनी चाहिए।
- रोजमर्रा के उपयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान और उपकरण में ऐसे डिजाइन शामिल होना चाहिए जिनका प्रयोग सभी के द्वारा आसानी से किया जा सके।

एक्सेसिबिलिटी (अभिगम्यता) के लिए यूनिवर्सल डिज़ाइन (सभी के लिए उपलब्ध डिजाइन)

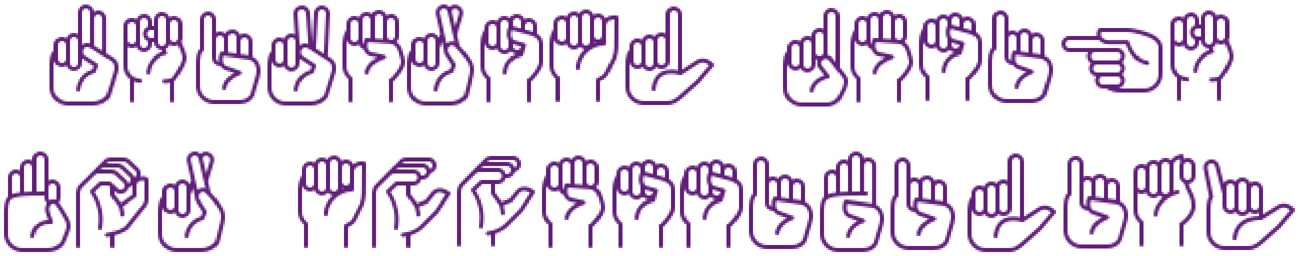

व्हील चेयर की उपलब्धता का उल्लेख करने वाले बोर्ड के साथ एक रेलवे स्टेशन की छवि

Reference:
Section 40 - 46

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 9

UNCRPD

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- केंद्र सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों, और सार्वजनिक सुविधाओं और सेवाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाएगी।
- बधिरान्ध व्यक्तियों को सुगमता मानकों के अनुरूप बस स्टॉप, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सुविधाएं प्रदान करने के उपाय किए जाएंगे।
- परिवहन के पुराने साधनों की रेट्रोफिटिंग सहित परिवहन के सभी साधनों तक बधिरान्ध व्यक्तियों को पहुंच प्रदान की जाएगी।
- बधिरान्ध व्यक्तियों की गतिशीलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके अनुरूप सुलभ सड़कें भी प्रदान की जाएंगी।
- सरकार को बधिरान्ध व्यक्तियों के सामान्य उपयोग के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के उत्पादों और सहायक उपकरणों के विकास, उत्पादन और वितरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- बधिरान्ध व्यक्तियों की सार्वजनिक भवनों और सुविधाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए लाइव सहायता और मध्यस्थों, जैसे गाइड, पाठक और दुभाषिये प्रदान किये जायेंगे ।
- किसी भी संरचना के निर्माण की अनुमति तब तक प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि कोई भवन योजना बधिरान्ध व्यक्तियों की पहुँच हेतु सभी मानदंडों का पालन नहीं करती है।
- केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किए बिना भवन का कब्जा लेने के लिए पूर्णता का कोई प्रमाण पत्र या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बधिरान्ध व्यक्तियों हेतु ब्रेल लिपि में और पढ़ने में आसान चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा।

वोटिंग
(मतदान)

चुनाव आयोग के अधिकारी बधिरान्ध बच्चों एवं वयस्कों और उनके माता-पिता सहित प्रतिभागियों को पूरी मतदान प्रक्रिया समझाते हुए

Reference:
Section 11

RPWD Act, 2016

राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी:

- भारत के चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान केंद्र बधिरान्धता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आसानी से सुलभ हों।
- चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सामग्री को समझने में आसान और सुलभ बनाया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बधिरान्ध व्यक्ति दूसरों की तरह समान आधार पर राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग ले सकें।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के बिना किसी भय के गुप्त मतदान करने के अधिकार की रक्षा करना।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए सहायक और नई तकनीकों तक पहुंच को सुगम बनाना।
- बधिरान्ध व्यक्तियों के लिए भेदभाव से मुक्त, सार्वजनिक और राजनीतिक मामलों में भागीदारी के अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना।
- सभी स्तरों पर गैर-सरकारी संगठनों, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों में भाग लेने के लिए बधिरान्ध व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ।

WOMEN & CHILDREN WITH DEAFBLINDNESS
(बधिरान्धता से प्रभावित महिलाएं और बच्चे)

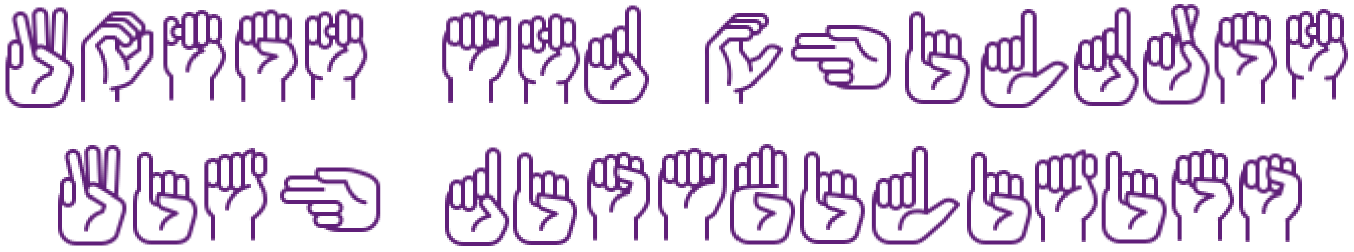

पिंकाथॉन मैराथन में सक्रिय रूप से भाग ले रही बधिरान्ध युवा लड़कियां और अन्य महिलाएं

Reference:
Section 7

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 4

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकार:

- बधिरान्ध महिलाओं और बच्चों को समान अधिकार प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिए, सरकार और स्थानीय अधिकारी कदम उठाएंगे ।
- सभी बधिरान्ध बच्चों को उनकी उम्र और अक्षमता को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने और उचित सहायता प्राप्त करने का समान अधिकार होगा।
- बधिरान्ध बच्चों से संबंधित हर कार्यवाई में बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- यह अधिनियम सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि बधिरान्ध बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने के अपने इस अधिकार का उपयोग कर सकें।

एक्सप्लोइटेशन (शोषण)

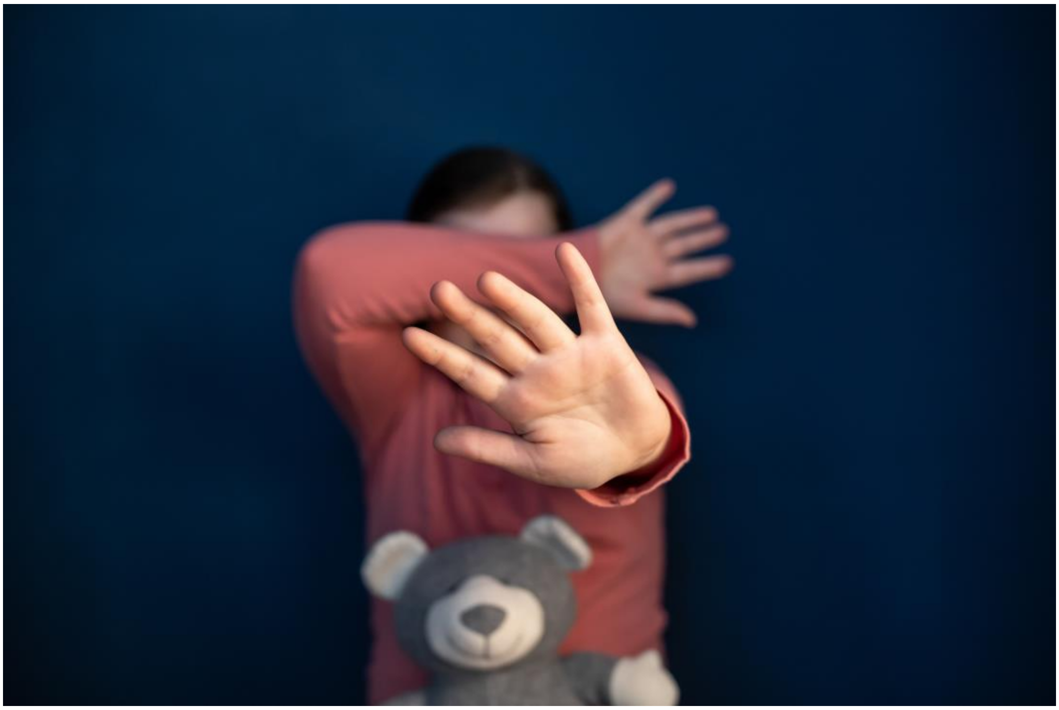

एक लड़की, अंधेरे कमरे में बैठकर स्वयं को शोषण से बचाने का चित्रण करती हुई

Reference:
Section 6, 7 & 92

RPWD Act, 2016

Reference:
Article 17

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

बधिरान्ध व्यक्तियों के अधिकारः

- बधिरान्ध व्यक्तियों को यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से बचाने के उपाय किए जाएंगे।
- सुलभ तरीकों, माध्यमों और प्रारूपों के माध्यम से प्राप्त उनकी स्वतंत्र और सूचित सहमति के बिना वे किसी भी प्रकार के शोध के अधीन नहीं होंगे।
- उन्हें सभी प्रकार के दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाया जाएगा और उनके विरुद्ध ऐसी घटनाएं रोकने के उपाय किए जाएंगे।
- इन उपायों में दुर्व्यवहार की घटनाओं का संज्ञान लेना और उनके खिलाफ बधिरान्ध व्यक्तियों को कानूनी उपाय प्रदान करना, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाना, रिपोर्टिंग प्रक्रिया निर्धारित करना और जनता के बीच इस सन्दर्भ में जागरूकता पैदा करना और जानकारी प्रदान करना शामिल है।
- प्रत्येक बधिरान्ध व्यक्ति को दूसरों की तरह ही समान आधार पर अपनी शारीरिक और मानसिक अखंडता का सम्मान करने का अधिकार है।
- दिव्यांगता पर किसी भी शोध के लिए उपयुक्त सरकार की अनुमति से एक समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कम से कम आधे सदस्य दिव्यांग हों या दिव्यांगता पर काम करने वाले किसी पंजीकृत संगठन से हों।

योर रोल
(आपकी भूमिका)

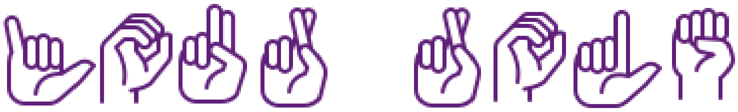

बधिरान्धता से प्रभावित एक युवा लड़की आशा को बधिरान्धता पर डेटा की कमी के बारे में आवाज उठाने के लिए स्विट्जरलैंड के बर्न में निदेशक संयुक्त राष्ट्र स्टेटिक्स द्वारा सम्मानित किया जा रहा है

RPWD Act, 2016

UNCRPD

अपने अधिकारों को जानें, उन्हें समझें और अपनी आवश्यकताओं को आवाज देना सीखें।

- अगर आप बधिरान्ध समुदाय का हिस्सा हैं, तो अपने अधिकारों को जानना और उनका दावा करने से आपका नहीं डरना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों और विनियमों के बारे में खुद को शिक्षित करें और अपने आस पास अपने समर्थन हेतु एक नेटवर्क बनाएं ताकि आप जरूरत पड़ने पर अपनी बात रख सकें।
- ज्ञान के साथ साहस आता है, और अपने अधिकारों के लिए सम्मान मांगने का विश्वास आता है।
- इसे एक कदम और आगे ले जाएं और बधिरान्धता के विषय में अन्य लोगों में जागरूकता बढ़ाएं और अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें।
- आपके पास भविष्य को आकार देने की शक्ति है; विकास के उत्प्रेरक (कैटालिस्ट) बनें, और एक अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण संसार बनाने के लिए खुद को और अपने आसपास के लोगों को सशक्त बनाएं।
- आपके पास दुनिया को बदलने और बदलाव लाने की शक्ति है, इसलिए स्वयं में परिवर्तन लाकर अपना पहला कदम उठाएं।

sense International INDIA
Working with deafblind people

ZEST FOR LIFE
(जीवन के लिए उत्साह)

श्रुति, बधिरान्धता से प्रभावित एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति, अपनी परिस्थितियों से जुड़ी सभी बाधाओं को पार करते हुए एक विजयी जीवन जी रही है

RPWD Act, 2016

UNCRPD

sense International INDIA
Working with deafblind people

"एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से विकलांग है, वह अपनी ताकत के छिपे हुए स्रोतों को तब तक नहीं जान पाएगा जब तक कि उसके साथ एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता है और उसे अपने जीवन को आकार देने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।" -हेलेन केलर

उन सभी व्यक्तियों के लिए जो बधिरान्धता से प्रभावित हैं, वह सभी यह याद रखें कि आपके पास ताकत के छिपे हुए स्रोत हैं जिनके बारे में आपको शायद पता भी नहीं हो।

आपके सामने आने वाली चुनौतियों और कमियों के बावजूद, आपके पास अपने जीवन को आकार देने, अपने जुनून को आगे बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता है।

आप अपनी कमज़ोरी को अपने आप को परिभाषित न करने दें या स्वयं को पीछे ना जाने दें, क्योंकि जब आपके साथ एक सामान्य इंसान के रूप में व्यवहार किया जाता है और आपको आपकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो आप अपने भीतर एक उल्लेखनीय ताकत को पहचान पायेंगे ।

आप प्रयास करते रहें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें।

अंत:कथन

हम आशा करते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की यह मार्गदर्शिका बधिरान्ध व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के लिए एक सहायक संसाधन रहेगी। इस ऐतिहासिक कानून को पारित करना यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम था कि सभी बधिरान्ध व्यक्तियों के बुनियादी अधिकारों और सम्मान को पहचाना जा रहा है, जिसके वे हकदार हैं।

इस सरल गाइड के साथ, हम उम्मीद करते हैं कि हम बधिरान्ध व्यक्तियों को अपने अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने और उनके द्वारा स्वयं की वकालत करने के लिए उन्हें सशक्त बनाएंगे।

हम यह भी आशा करते हैं कि यह पुस्तक उन सहयोगियों और अधिवक्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करेगी जो भारत में बधिरान्ध व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। समाज में जागरूकता बढ़ाकर और ऐसी समझ को बढ़ावा देकर, हम सभी के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बनाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

sense International INDIA
Working with deafblind people

Scan the QR Codes below to know more about the RPWD Act.

RPWD Act in Sign Language
(YouTube Video)

RPWD Act in Hindi

यह पुस्तिका सेंस इंडिया द्वारा विकसित की गई है और यह इसकी संसाधन और सूचना इकाई की बौद्धिक संपदा है। अधिक जानकारी या इस पुस्तिका का उपयोग करने के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया सेंस इंडिया से info@senseintindia.org पर संपर्क करें।

sense International INDIA
Working with deafblind people